


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2014/श्रावण 17, 1936

No. 235]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2014/SHRAVANA 17, 1936

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त 2014

एफ. सं. पीएनजीआरबी/एनजीपीएल/विनियम/संशोधन-2014 - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार) संशोधन विनियमावली, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार) विनियम, 2008 में —

(क) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ज) के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा नामतः —

‘(i) “अनुबंधित कनेक्टिविटी” का अभिप्राय किसी सामान्य वाहन या अनुबंधित वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और निम्नलिखित में से किसी एक के बीच प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कनेक्टिविटी से है, नामतः:-

क) प्राकृतिक गैस स्रोत; या

ख) अन्य सामान्य वाहन या अनुबंधित वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से एक नया इंजेक्शन प्वाइंट';

(ख) विनियम 5 में, —

(i) उप-विनियम (6) में, खंड (झ) में पूर्व के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: —

"(झ) बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी पर धारा 28 के तहत कोई दंड नहीं लगाया गया होगा या बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से प्रथम एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिनियम के अध्याय IX के तहत दंडनीय प्रथम दृष्टया केस न किया गया हो"

(ii) उप-विनियम (8) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः : —

"बशर्ते कि बोर्ड जैसा उचित समझे, बोली प्रस्तुत करने की तारीख को बढ़ा सकता है जिसके कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा और इस संबंध में लिए गए निर्णय को वेबसाइट पर डाला जाएगा।"

(ग) विनियम 7 में, उप-विनियम (1) में, —

क) खंड (ख) में, कोष्ठकों और शब्दों "[एकल नम्बर बोली होगी]" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"[एक सौ प्रतिशत से कम एकल नम्बर बोली होगी],"

ख) खंड (ग) में कोष्ठकों और शब्दों "[एक सौ प्रतिशत से कम एकल नम्बर बोली होगी]" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः-

"[पचास प्रतिशत से कम एकल नम्बर बोली होगी]"

(घ) विनियम 9 में, उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः: —

'बशर्ते कि कम्पनी योग्य नया भागीदार शामिल कर सकती है जब तक कि वह विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार पात्रता मानदंडों को प्रभावित किए बिना प्रमुख भागीदार बनी रहती है:

आगे बशर्ते कि प्रमुख भागीदार बने रहने के प्रयोजन से कंपनी की इक्विटी, नया भागीदार शामिल करने के बाद पचास प्रतिशत से अधिक रहेगी।";

(ङ.) विनियम 12 में, उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: —

"(3) उप-विनियम (1) और (2) के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता विस्तार संबंधी उपबंध, विनियम 4, 18 या 19 के तहत बोर्ड द्वारा प्राधिकृत या केन्द्र सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत विनियम 17 के तहत स्वीकार्य सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों पर लागू होंगे:

बशर्ते कि कम्पनी पूंजीगत व्यय, प्रचालन संबंधी व्यय और परिवहन की गई मात्रा के विस्तृत ब्यौरे के साथ उपरोक्त विस्तार का अलग से लेखा-जोखा रखेगी और सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित इसकी रिपोर्टें संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत करेगी।",

(च) विनियम 21 की क्रम संख्या बदलकर विनियम 22 किया जाएगा और इस बदली गई क्रम संख्या विनियम 22 से पूर्व निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"21. अनुबंधित कनेक्टिविटी या प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के फैलाव या स्पर लाइनें बिछाने संबंधी प्रावधान

(1) अनुबंधित कनेक्टिविटी:

- (क) किसी सामान्य वाहक या अनुबंधित वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निकट अपस्ट्रीम कनेक्टिविटी की आवश्यकता के मामले में, संबंधित कंपनी द्वारा बोर्ड को कनेक्टिविटी का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें गैस के स्रोतों या इन्जेक्शन प्वाइंट सुविधाओं, आसपास मौजूद प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे तथा प्रस्तावित अनुबंधित कनेक्टिविटी की लंबाई और क्षमता के साथ मांग-आपूर्ति के अनुमान के विवरण का उल्लेख हो।
- (ख) बोर्ड, हितधारकों के विचार और टिप्पणियां जानने के लिए सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के रूप में तीस दिन की अवधि के लिए ऐसे प्रस्ताव को वेबसाइट पर डालेगा।
- (ग) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विचारों और टिप्पणियों के आधार पर, बोर्ड उन हितधारकों के साथ विचार-विमर्श का खुला सत्र आयोजित कर सकता है जिन्होंने अपने विचार दिए हैं।
- (घ) बोर्ड निम्नलिखित पद्धति के अनुसार ऐसी अनुबंधित कनेक्टिविटी प्राधिकृत कर सकता है, नामतः :—
- (i) अनुबंधित कनेक्टिविटी का अधिमानतः निर्माण उस कंपनी द्वारा किया जाएगा जिसके पास गैस के स्रोत या इन्जेक्शन प्वाइंट के निकट मौजूद सामान्य वाहक या अनुबंधित वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हैं, परंतु ऐसी अनुबंधित कनेक्टिविटी की लंबाई सामान्य वाहक या अनुबंधित वाहक गैस पाइपलाइन की प्राधिकृत लंबाई का बीस प्रतिशत या अधिकतम 200 किलोमीटर होगी:
बशर्ते कि गैस के स्रोत या इन्जेक्शन प्वाइंट के निकट मौजूद एक से अधिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन होने की स्थिति में, प्राकृतिक गैस स्रोत के सबसे निकट सामान्य वाहक या अनुबंधित वाहक गैस पाइपलाइन के स्वामित्व वाली और इसका प्रचालन करने वाली कंपनी को बाद में वास्तविक सन्निकटता के क्रम में अनुबंधित कनेक्टिविटी करने से इनकार करने का प्रथम अधिकार होगा:
आगे बशर्ते कि यदि सामान्य वाहक या अनुबंधित वाहक गैस पाइपलाइन के स्वामित्व वाली और इसका प्रचालन करने वाली कंपनियां उपरोक्त अनुबंधित कनेक्टिविटी करने से इनकार करती हैं, तो बोर्ड इस प्रस्ताव को शुरू करने वाली इच्छुक कंपनी को निबंधन एवं शर्तों के साथ उपरोक्त अनुबंधित कनेक्टिविटी करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और फिर ऐसी स्थिति में इच्छुक कम्पनी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या अनुबंधित वाहक गैस पाइपलाइनों के लिए आचरण संहिता उपलब्धता) विनियमावली, 2008 के संबंध में "शिपर" माना जाएगा।
- (ii) यदि ऐसी अनुबंधित कनेक्टिविटी के कारण गैस पाइपलाइन का विस्तार होता है तो लागू टैरिफ पद्धति विनियम 12 में दर्शाए अनुसार होगी।
- (iii) विनियम 5 के उप-नियम (5) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अनुबंधित कनेक्टिविटी के लिए बोर्ड बोली आमंत्रित करने पर भी विचार कर सकता है।
- (iv) उप-खंड (1) में किए गए प्रावधान के अनुसार निर्धारित लंबाई से अधिक की अनुबंधित कनेक्टिविटी का निर्माण करने के किसी भी प्रस्ताव पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के विनियमों के संगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

(2) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का फैलाव

- (i) कंपनी, मौजूदा टैरिफ क्षेत्र से बाहर मांग केन्द्रों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की प्राधिकृत लम्बाई को दस प्रतिशत तक या 50 किलोमीटर, जो भी उत्पत्ति स्थल या अंतिम स्थल से कम हो, में वृद्धि कर सकती है और वह बोर्ड को प्रस्ताव के औचित्य सहित पूरे विवरण, सभी सुविधाओं के मानचित्र प्रस्तुत करेगी तथा बोर्ड से पूर्व प्राधिकार का अनुरोध करेगी:
बशर्ते कि कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में, उत्पत्ति स्थल या अंतिम स्थल से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के ऐसे विस्तार के मूल स्थल में भिन्नता के तौर पर निकटतम खंडवार वाल्व (एसवी) स्टेशन से परे अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि कंपनी को तकनीकी बाधाओं का विस्तृत औचित्य देना होगा।
- (ii) सार्वजनिक परामर्श के बाद, बोर्ड अनुरोध प्राप्त होने के साठ दिन के अंदर कंपनी को निर्णय की सूचना देगा। यदि बोर्ड द्वारा उपरोक्त साठ दिनों के अंदर कोई सूचना नहीं दी जाती है तो उपरोक्त अनुरोध को अनुमोदित किया गया माना जाएगा।
- (iii) फैलाव के बाद प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (iv) दस प्रतिशत या 50 किलोमीटर, जो भी कम हो, के बाद प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की प्राधिकृत लम्बाई बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव, अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के अनुरूप, प्राधिकार के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) स्पर लाइनें बिछाना

विनियम (2) के उप-नियम (1) के खंड (ज) के अनुसार प्राधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के टैरिफ क्षेत्र के भीतर इन पाइपलाइनों से निकलने वाली स्पर लाइनें बिछाने के लिए, और इनकी आर्थिक जीवन काल के दौरान किसी अलग प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है जब तक कि पहले से प्राधिकृत पाइपलाइन की उपयोग विधि या प्रयोजन न बदले, बशर्ते कि यह स्पर लाइन को परिभाषित करने वाले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का क्षमता निर्धारण) विनियम, 2010 के विनियम 2 के खंड (ण) में उपबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने पर निर्भर करेगा:

बशर्ते कि यदि टैरिफ क्षेत्र की सीमाओं से परे स्पर लाइन बिछाने का प्रस्ताव किया जाता है तो लागू टैरिफ उस टैरिफ क्षेत्र की लागू टैरिफ होगी जिससे स्पर लाइन के लिए टैप-आफ लिया गया है:

आगे बशर्ते कि टैरिफ कोरिडोर के परे के ऐसे मामलों में अनुरोध की शुरूआत करने वाली कंपनी, बोर्ड को अपने आशय की सूचना, और स्पर लाइन की लम्बाई का पूर्ण ब्यौरा, मार्ग, क्षमता और लाभान्वित होने वाले ग्राहकों का ब्यौरा देगी और बोर्ड सार्वजनिक परामर्श के बाद, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के साठ दिनों के अंदर कंपनी को अपने निर्णय की सूचना देगा। यदि बोर्ड द्वारा उपरोक्त साठ दिनों के अंदर कोई सूचना नहीं दी जाती है तो उपरोक्त अनुरोध को प्राधिकार हेतु स्वीकार किया माना जाएगा”।

के. राजेश्वर राव, ओएसडी (आर)

[विज्ञापन III/4/ असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 06 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए थे जिनमें बाद में दिनांक 19 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 802 (अ), दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 769 (अ), दिनांक 18 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.38 (अ), 7 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480 (अ), 9 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 594 (अ) तथा दिनांक 17 फरवरी, 2014 की एफ संख्या पीएनजीआरबी/एम (सी)/48 द्वारा संशोधन किया गया था।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August 2014

F. No. PNGRB/NGPL/REGULATIONS/AMEND-2014.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the

Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008,-

(A) in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (h), the following shall be inserted, namely:-

‘ (i) “tie-in connectivity” means the natural gas pipeline connectivity for transport of natural gas between a common carrier or contract carrier natural gas pipeline and any one of the following, namely:-

(a) a natural gas source; or

(b) a new injection point from another common carrier or contract carrier natural gas pipeline.’;

(B) in regulation 5,-

(i) in sub-regulation (6), for clause (i), the following shall be substituted, namely:-

“ (i) entity submitting the bid shall not have been imposed any penalty under section 28 or no *prima-facie* case punishable under Chapter IX of the Act has been made out during the period of preceding one year from the last date for submission of the bid.” ;

(ii) in sub-regulation (8), the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the Board may extend the date for submission of bid as deemed fit for the reasons to be recorded in writing and the decision in this regard shall be webhosted.”;

(C) in regulation 7, in sub-regulation (1),-

(a) in clause (b), for the brackets and words “[a single number is to be bid]”, the following shall be substituted, namely:-

“[a single number lower than one hundred per cent. is to be bid]”;

(b) in clause (c), for the brackets and words “[a single number lower than one hundred percent is to be bid]”, the following shall be substituted, namely:-

“[a single number lower than fifty per cent. is to be bid]”;

(D) in regulation 9, in sub-regulation (3), the following provisos shall be added, namely: –

“Provided that the entity may induct eligible new partner as long as it remains a lead partner without impacting the eligibility criteria as provided in the regulations:

Provided further that, for the purpose of remaining to be a lead partner, the entity shall have equity of more than fifty per cent. after inducting the new partner.”;

(E) in regulation 12, after sub-regulation (2), the following shall be inserted, namely:-

“(3) The provisions regarding expansion of capacity in natural gas pipeline under sub-regulations (1) and (2) shall be applicable to all natural gas pipelines either authorized by the Board under regulation 4, 18 or 19 or accepted under regulation 17 as authorized by the Central Government:

Provided that the entity shall keep separate accounts for the above mentioned expansion with detailed break-up of capital expenditure, operational expenditure and volume transported and shall submit the reports at the end of the relevant financial year duly certified by a Chartered Accountant.”;

(F) regulation 21 shall be re-numbered as regulation 22 and before regulation 22 as so re-numbered, the following shall be inserted, namely:-

“21. Provisions regarding tie-in connectivity or extension of natural gas pipeline or laying of spur-lines.

(1) Tie-in Connectivity:

(a) In case of the upstream connectivity requirement near a common carrier or contract carrier natural gas pipeline, a detailed proposal for the connectivity shall be submitted by the concerned entity to the Board indicating the details of the gas sources or injection points facilities, existing natural gas pipeline infrastructure in vicinity and demand-supply projections along with the length and capacity of the proposed tie-in connectivity.

(b) The Board shall webhost the proposal for a period of thirty days for initiating the public consultation process seeking views and comments from the stakeholders.

(c) Based upon the views and comments received during the public consultation process, the Board may conduct an open house discussion with the stakeholders who have provided their views.

(d) The Board may authorize such tie-in connectivity as per the following methodology, namely:-

- (i) tie-in connectivity shall be preferably constructed by the entity owning the common carrier or contract carrier natural gas pipeline existing near the gas source or injection point provided that the length of such tie-in connectivity is twenty per cent. of the authorized length of the common carrier or contract carrier natural gas pipeline subject to a maximum of 200 kilometer:

Provided that in case of more than one natural gas pipeline existing near the gas source or injection point, the entity owning and operating the common carrier or contract carrier natural gas pipeline nearest to the natural gas source shall have first right of refusal for laying tie-in connectivity subsequently in the order of physical proximity:

Provided further that in case the entities owning and operating the common carrier or contract carrier natural gas pipeline refuse to lay the said tie-in connectivity, the Board may authorize the interested entity who initiated the proposal with the terms and conditions to lay the said tie-in connectivity and in such a case, the interested entity shall be considered as “shipper” in terms of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code of Conduct for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

- (ii) in case the tie- in connectivity is resulting in to expansion of natural gas pipeline, the applicable tariff methodology shall be as provided in regulation 12.
- (iii) the Board may also consider inviting bids for the subject tie-in connectivity as per the provisions of sub-regulation (5) of regulation 5.
- (iv) any proposal to construct tie-in pipeline connectivity exceeding the length as provided in sub-clause (i) shall be dealt in line with the relevant provisions of the regulations for competitive bidding route;

(2) Extension of a natural gas pipeline:

- (i) The entity may extend the authorized length of the natural gas pipeline up to ten per cent. or 50 kilometer whichever is lower from the point of origin or the end point in the demand centres outside the existing tariff zone and shall submit to the Board the full particulars, map of all facilities including justification for the proposal and seek prior authorization from the Board:

Provided that in case of any technical constraints, the allowed variation in the originating point of such extension of the natural gas pipeline from the point of origin or the end point shall not exceed beyond the nearest sectionalizing valve (SV) station. However, the entity shall be required to provide the detailed justifications for the technical constraints.

- (ii) The Board after public consultation shall give a decision to the entity within sixty days of the receipt of the request. In case, no communication is sent by the Board in the aforesaid sixty days, the above request shall be deemed to have been approved.
- (iii) There shall be no change in the natural gas pipeline tariff post-extension.
- (iv) Any proposal to extend the authorized length of natural gas pipeline beyond ten per cent. or 50 kilometer whichever is lower shall be submitted to the Board for authorization in line with the provisions of the Act as well as regulations.

(3) Laying of spur-lines:

No separate authorization is required for laying spur-lines originating from the authorized natural gas pipelines within its tariff zone as per clause (h) of sub-regulation (1) of regulation (2) and during its economic life, so long as the usage or purpose of the pipeline already authorized is not changed subject to the spur-lines meeting all requirements provided in clause (o) of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010, defining spur-line:

Provided that if a spur-line is proposed beyond the limits of tariff zone, the admissible tariff shall be the applicable tariff of the tariff zone from which the tap-off for the spur-line is taken:

Provided further that in such instances beyond tariff corridor, the entity initiating the request shall inform the Board of its intentions along with the full details on the spur-line length, route, capacity and details of the customers to be served and the Board after public consultation shall give its decision to the entity within sixty days of the receipt of the request. In case, no communication is sent by the Board in the aforesaid sixty days, the above request shall be deemed to be approved for authorization.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)
[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified vide No. G.S.R.340 (E) dated 6th May 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 802(E) dated 19th November 2008, G.S.R. 769(E) 20th October 2009, G.S.R. 38 (E) dated 18th January 2010, G.S.R. 480(E) dated 7th June 2010, G.S.R. 594(E) dated 9th July 2010 and F. No. PNGRB/M(C)/48 dated 17th February 2014.